न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (केम्प–उज्जैन) म.प्र.

प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/15 नि0 2775-III/15

1. बद्रीलाल पिता श्री जयरामसिंह
2. दयाराम पिता श्री जयरामसिंह
3. गोपाल सिंह पिता श्री जयरामसिंह, जाति कुल्मी (पाटीदार), निवासी– ग्राम मुलीखेड़ा परगना व जिला शाजापुर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

जितेन्द्र गोठी पिता हिम्मतसिंह जी गोठी, जाति कुल्मी (पाटीदार), निवासी– ग्राम मुलीखेड़ा परगना व जिला शाजापुर

.... अनावेदक

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक– 596/2015 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि :–</u>

1. यह कि, आवेदक/रेस्पांडेंट जितेन्द्र गोठी पिता हिम्मतसिंह गोठी ने एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय शाजापुर में भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत इस आधार के साथ पेश किया कि ग्राम मगरिया स्थित सर्वे क्र. मीन 106/2 रकबा 0.115 हेक्टर भूमि निगरानीकर्ता क्र.1 बद्रीलाल पिता जयराम सिंह, सर्वे क्र. 106/3 रकबा 0.115 हेक्टर व सर्वे क्र. 107/3 मीन, रकबा 0.135 हैक्टर भूमि निगरानीकर्ता क्र.2 दयाराम पिता जयराम सिंह, सर्वे क्र. 107/1 रकबा 0.240 हेक्टर, सर्वे क्र. 108/1 रकबा 0.259 हेक्टर, सर्वे क्र. 123/2/1 रकबा 0.659

निरंतर 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2779–तीन/2015 जिला शाजापुर

बद्रीलाल आदि विरूद्ध जितेन्द्र गोठी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–1–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रथम अपील में बहस श्रवण करने के उपरांत प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित कर दिया गया था। आवेदक के अभिभाषक द्वारा समय–समय पर आदेश की जानकारी के लिए न्यायालय में उपस्थित हुये, परन्तु आदेश की जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 23–2–15 को आवेदक अभिभाषक के मुंशी को आदेश नोट करा दिया गया। अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–1–15 से जानकारी दिनांक 23–2–15 तक की अवधि को माफ करने का अनुरोध किया गया था इस बावत विधिवत म्याद अधिनियम आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य करने में त्रुटि की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं आवेदक का अवलोकन किया। आवेदक के जानकारी दिनांक से अपील मात्र 17 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। यदि विलम्ब के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया हो तब विलंब माफ कर	

मामले का गुणागुण सुना जाना चाहिए। अपर आयुक्त ने विलम्ब को माफ कर गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–6–2015 निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपील को समय–सीमा में मान्य कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत मामले का गुण–दोष निराकरण करें।

प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य